

न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : नवनीत कुमार
नियम 22(3) प्रार्थना पत्र संख्या : 23/2016



राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ-1

बनाम

श्री रूडाराम पुत्र श्री पांचूराम गुर्जर साकिन कोटपूतली, जिला जयपुर
(वारिसान-बुद्धाराम, कोयलीदेवी, मूर्तीदेवी, दुर्गादेवी, मीरादेवी पि० श्री रूडाराम पुत्र श्री पांचूराम, बलरदेवी पत्नी केशव पुत्र रूडाराम पुत्र पांचूराम, रेखादेवी, नीलमदेवी, लक्ष्मण, करण, घनश्याम पि० केशव पुत्र रूडाराम पुत्र पांचूराम गुर्जर साकिन कोटपूतली, जिला जयपुर)

- अप्रार्थीगण

उपस्थिति :

1. राजस्थान सरकार - पैरोकारराज
2. श्री धनेश खत्री - अप्रार्थी वकील

निर्णय

दिनांक :- 21-05-2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ-1 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र नियम 22(3) के अन्तर्गत दिनांक 29-10-2012 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04-06-2007 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत श्री रूडाराम पुत्र श्री पांचूराम गुर्जर साकिन कोटपूतली, जिला जयपुर को उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ-1 के चक 72 एसडी के मुरब्बा नम्बर 37/04 में 24-05 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त आवंटन विनिमय समिति की अनुशंसा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। आवंटन पर्यी में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रकरण में आवंटन पर्यी नियम विरुद्ध है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित एवं अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी श्री रूडाराम को बतौर भूतपूर्व सैनिक विनिमय श्रेणी में उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ-1 के चक नम्बर 72 एसडी के मु०नं० 37/04 में 24-05 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी जिसके विरुद्ध उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ-1 ने आवंटन नियम, 1975 के नियम 22(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त आवंटित भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा किसी अन्य आवंटि श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी श्री लिछमणराम जाट निवासी श्यामपुरा (समसपुर) तहसील व जिला झूँझनू को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आवंटित कर दी गई थी। वर्तमान में तहसील से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगणों के पिता के नाम आवंटित भूमि चक 72 एसडी के मु०नं०

37/04 की 22-16 बीघा कमाण्ड भूमि श्री जगमालराम पुत्र श्री हीराराम, श्री दुर्गाराम सऊ पुत्र श्री हीराराम सऊ जाति जाट, साकिन मोतीनाडा तहसील शिव जिला बाडमेर क्रेता खातेदार दर्ज है। अतः अप्रार्थी को उक्त आवंटित भूमि अन्य को आवंटित होने से उक्त 22(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई शेष नहीं रहती है। अप्रार्थी के वारिसों के रीलिंग सीमा के शपथ पत्र भी न्यायालय हाजा में पेश कर दिये हैं। अतः 22(3) की कार्रवाई को समाप्त कर अप्रार्थीगणों को नियमानुसार अन्य रकबा आवंटित करने का निवेदन किया है।

पैरोकार राज सरकार ने कथन किया कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि अन्य को आवंटन होने से उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ-1 द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतः नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रकरण अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को भिजवाया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पैरोकारराज व अप्रार्थी की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा समस्त तथ्यों पर भी मनन किया गया।

अप्रार्थी श्री रुडाराम पुत्र श्री पांचूराम गुर्जर, साकिन कोटपूतली, जिला जयपुर को दिनांक 04-06-2007 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ-1 के चक 72 एसडी के मुरब्बा नम्बर 37/04 में 24-05 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था जिसके विरुद्ध उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ-1 ने नियम 22(3) का प्रकरण न्यायालय में पेश किया था चूंकि अप्रार्थी श्री रुडाराम को आवंटित भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा किसी अन्य आवंटि श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी श्री लिछमणराम जाट निवासी श्यामपुरा (समसपुर) तहसील व जिला झुंझनू को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आवंटित कर दी गई थी। वर्तमान में तहसील से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगणों के पिता के नाम आवंटित भूमि चक 72 एसडी के मु0नं0 37/04 की 22-16 बीघा कमाण्ड भूमि श्री जगमालराम पुत्र श्री हीराराम, श्री दुर्गाराम सऊ पुत्र श्री हीराराम सऊ जाति जाट, साकिन मोतीनाडा तहसील शिव, जिला बाडमेर क्रेता खातेदार दर्ज है। अतः अप्रार्थी को उक्त आवंटित भूमि अन्य को आवंटित होने से उक्त 22(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई शेष नहीं रहती है।

अतः अप्रार्थी को उक्त आवंटित भूमि अन्य को आवंटित होने से उक्त 22(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध नियम 22(3) का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में आवश्यक जांच करें और यदि अप्रार्थी के वारिसों के नाते पात्रता के अनुसार भूमि के आवंटन का अधिकार है, तो नियमानुसार समीक्षात्मक परीक्षण कर भूमि आवंटन करें।

निर्णय की प्रति व अधीनस्थ रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाकर फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21-05-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवनील कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर